न्यायालय मुंसिफ

सोनपुर सारण।

चुनाव वाद सं0–02 सन् 2021

अरूण कुमार सिंह.....वादी।

बनाम

नरोत्तम कुमार सिंह अन्य .....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 23.11.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से साक्षी सुशील कुमार सिंह का साक्ष्य रिकॉल करने हेतु दाखिल आवेदन दिनांक 11.10.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि वादी के तरफ से साक्षी सुशील कुमार का गवाही हेतु शपथ पत्र न्यायालय में दिनांक 09.05.2023 को दाखिल किया गया तथा प्रतिवादी के तरफ से उक्त गवाह का प्रति परीक्षण भी किया गया। प्रतिपरीक्षण के उपरांत सुशील कुमार गवाही को न्यायालय द्व ारा उन्मुक्त कर दिया गया। उपरोक्त वाद में सुशील कुमार के द्वारा हस्तलिखित आवेदन दिनांक 14.11.2021 को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी सोनपुर को पुनः मतगणना कराने के लिए दिया गया था। जिसका विवरण प्रतिवादी सं0 12 के द्वारा दाखिल बयान तहरीरी के पारा नं0 13 में किया गया है। जिसका मूल वादी के द्वारा उक्त वाद में दिनांक 15.12. 2021 को दाखिल किया गया। परंतु संयोगवश उक्त आवेदन दिनांक 14.11. 2021 को साक्षी सुशील कुमार के गवाह से प्रदर्श मार्क नहीं कराया जा सका चूंकि उक्त आवेदन सुशील कुमार के द्वारा लिखा गया आवेदन है। इसलिए उक्त आवेदन को प्रदर्श मार्क भी सुशील कुमार के द्वारा ही कराया जा सकता है, जो उक्त रेकर्ड में न्याय के लिए होना आवश्यक है। इसलिए सुशील कुमार के गवाही को रिकॉल करना न्याय के लिए जरूरी है। अतः निवेदन है कि सुशील कुमार के गवाही को रिकॉल करने का आदेश देने की कृपा प्रदान की जाए ताकि लिखित आवेदन को प्रदर्श मार्क कराया जा सके।

प्रतिवादी सं0 01 की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 09.11.2023 को दाखिल कर कथन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वर्तमान आवेदन कानूनी पोषणीय नहीं है। वादी का आवेदन कानूनी प्रकिया के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है तथा आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है। वादी

जानबूझकर वादी साक्षी  सुशील कुमार से दस्तावेज प्रदर्श नहीं कराया है। वादी ने अपने कुल आवेदन में कहीं वर्णन नहीं किया है कि  सुशील कुमार का गवाही वादी सं0 कितना के रूप में हुआ है। ऐसी स्थिति में वादी का आवेदन भेग एवं अस्पष्ट है। वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पूर्णतः भेग है तथा पूर्णतः आवेदन खारिज होने योग्य है। अतः निवेदन है कि वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन साथ खर्चा के खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी साक्षी  सुशील कुमार को साक्ष्य के पश्चात् साक्ष्य रिकॉल करा कर  दाखिल कागाजात को प्रदर्श मार्क करने हेतु आवेदन दाखिल किया है। वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद में सुशील कुमार के द्वारा हस्तलिखित आवेदन दिनांक 14.11.2021 को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी सोनपुर को पुनः मतगणना कराने के लिए दिया गया था। जिसका प्रदर्श मार्क नहीं हो पाया तथा वादी साक्षी सुशील कुमार को उन्मुक्त कर दिया गया। ऐसी परिस्थिति में वाद के सम्यक न्याय निर्णयन के लिए वादी साक्षी सुशील कुमार को प्रदर्श मार्क करने हेतु उनका साक्ष्य रिकॉल किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 11.10.2023 को 500/—रूपये खर्चा के साथ न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी खर्च की राशि प्रतिवादी को प्रदान करें।

वाद दिनांक.....को वादी की ओर से साक्ष्य हेतु।

मुंसिफ

सोनपुर, सारण।